कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.)
Phone: 0755-2540590, 4050000-07 **Email:** deangmc_bpl@yahoo.co.in
Fax: 0755-2541376 **Website -www.gmcbhopal.net**

क्रमांक 24556......../एम.सी./अराज–5/2021 भोपाल, दिनांक.......13...../08/2021

//विज्ञप्ति//

गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल में मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श सेवा नियम–2018 द्वारा प्राप्त अनुसूचियों के आधार पर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल में पैरामेडिकल स्टाफ के सीधी भर्ती एवं संविदा के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु विज्ञापन सूचना जारी की जाती है एवं ऑनलाइन आवेदन हेतु इस लिंक https://forms.gle/Y5ct5984aZLuC9i76 का इस्तेमाल किया जावेगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31.08.2021 को रात्रि 12.00 बजे तक उपरोक्त विज्ञापन तथा ऑनलाइन आवेदन की लिंक गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) की वेबसाइट www.gmcbhopl.net पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व आवेदन शुल्क अनारक्षित श्रेणी हेतु रू. 1000/– तथा आरक्षित श्रेणी (अ.जा., अ.ज.जा.एवं अ.पि.व., आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिक) हेतु रू. 800/– गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के निम्न खाते में ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है।

Accounts Details : A/c Holder : CEO & Dean Gandhi Medical College, Bhopal Bank Name, State Bank of India, GMC Branch Account Number : 10625211248, IFSC Code : SBIN0010140

13/8/21

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.)
Phone: 0755-2540590, 4050000-07 Email: deangmc_bpl@yahoo.co.in
Fax: 0755-2541376 Website -www.gmcbhopal.net

क्रमांक ..../एम.सी./अराज–5/2021 भोपाल, दिनांक 12/08/2021

24852-55

//सह–चिकित्सकीय सवंर्ग की भर्ती सूचना//

मध्यप्रदेश शासन,चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 2–20/2020/1/55 दिनांक 17.11.2020 के निर्देशानुसार एवं संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 515/ स्था/अराज/2021, दिनांक 22.05.2021 के तहत मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श सेवा नियम 2018 द्वारा प्राप्त सह–चिकित्सकीय संवर्ग की अनुसूचियों के आधार पर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल एवं संबंद्ध चिकित्सालय के सह–चिकित्सकीय के रिक्त पदों को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्स में उत्तीर्ण हुये उम्मीदवारों से भरे जाने अभ्यार्थियों की अर्हता की प्रावीण्य सूची के आधार पर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की बेवसाइड WWW.gmcbhopl.net पर पैरामेडिकल स्टाफ के लिए लिंक ऑनलाइन https://forms.gle/Y5ct5984aZLuC9i76 उपलब्ध रहेगा उक्त लिंक गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की बेवसाइड पर उपलब्ध है, जिसे सीधे ही बेवसाइड से खोला एवं देखा जा सकता है। आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक 31.08.2021 समय रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकेंगे।

सीधी भर्ती

क्र.	पदनाम	ST	SC	OBC	UR	EWS	PH	Total
1	रिफ्रेक्शनिस्ट	0	0	0	1	0	0	1
2	टी.बी.एण्ड चेस्ट डिसीज हेल्थ विजीटर	0	0	1	1	0	0	2
3	लैब असिस्टेंट	4	1	3	4	2	1	15
4	प्रोस्थेटिक एण्ड आर्थोटिक टेक्नीशियन	0	0	1	1	0	0	2
5	एक्सरे टेक्नीशियन	1	0	1	2	0	0	4
	कुल योग	5	1	6	9	2	1	24

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्रमांक सी–5–2/2018/1/3/भोपाल दिनांक 05.06.2018 के अनुसार संविदा कर्मचारियों से भरे जाने वाले पदों का प्रस्ताव निम्नानुसार है:–

संविदा

क्र	पदनाम	ST	SC	OBC	UR	EWS	Total
1	लैब असिस्टेंट	1	0	0	0	0	01

सीधी भर्ती किडनी प्रत्यारोपण के पद

क्रं.	पदनाम	ST	SC	OBC	UR	EWS	Total
1	लैब टेक्नीशियन	0	0	0	1	0	1
2	ओ.टी.टेक्नीशियन	0	0	1	1	0	2
3	इण्डोस्कोपी टेक्नीशियन	0	0	1	1	0	2
4	यूरोडायॅनामिक टेक्नीशियन	1	0	1	1	0	3
	कुल योग	1	0	3	4	0	08

निरंतर——2

सीधी भर्ती बर्न यूनिट के पद

क्रं.	पदनाम	ST	SC	OBC	UR	EWS	Total
1	ओ.टी.टेक्नीशियन	0	0	0	1	0	1

नोटः– रिक्त पदों की संख्या संवर्ग में घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।

1. पद अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः–

1. **रिफ्रेक्शनिस्ट** :–1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री, तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से 02 वर्ष का ऑप्टोमेट्रिस्ट का डिप्लोमा। 3. म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
2. **टी.बी.एण्ड चेस्ट डिसीज हेल्थ विजीटर** :– भारत सरकार के आर.एन.टी.सी.पी.कार्यक्रम के मापदण्ड के अनुसार निर्धारित योग्यता/अनुभव।(कक्षा–12वीं/डिग्री/डिप्लोमा/आर.एन.टी.सी.पी.सटिर्फिकेट/02 माह कम्प्यूटर प्रशिक्षण कोर्स/06 माह का कार्य अनुभव एमपीडब्ल्यू/एचएचव्ही/एएनएम/हेल्थ वर्कर का अनुभव शासकीय चिकित्सालय/संस्था से)
3. **लैब असिस्टेंट** :– 1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से पैथोलॉजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा (डीएमएलटी)/क्लीनिकल बायोकेमिस्ट्री का डिप्लोमा/माइक्रोबायोलॉजी का डिप्लोमा। 3. म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन।
4. **प्रोस्थेटिक एण्ड आर्थोटिक टेक्नीशियन** :– –1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. प्रोस्थेटिक/आर्थोटिक टेक्नीशियन का डिप्लोमा।
5. **एक्सरे टेक्नीशियन** :– 1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से रेडियाग्राफर का डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र (डिग्रीधारी को प्राथमिकता) 3. म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन।
6. **लैब टेक्नीशियनः**– 1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से पैथोलॉजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा (डीएमएलटी)/क्लीनिकल बायोकेमिस्ट्री का डिप्लोमा/माइक्रोबायोलॉजी का डिप्लोमा। 3. म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन।
7. **ओ.टी. टेक्नीशियनः**– 1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से ऑपरेशन थियेटर का प्रमाण–पत्र। 3. म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन।
8. **इंण्डोस्कोपी टेक्नीशियनः**– 1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से ऑपरेशन थियेटर का प्रमाण–पत्र। 3. म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन।
9. **यूरोडायॉनामिक टेक्नीशियनः**– 1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा। 3. म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन।

3. पैरामेडिकल के पद नियुक्ति हेतु निर्देश/शर्तेः–

1. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्सेस से उत्तीर्ण उम्मीदवारों को नियत मापदंड में उपयुक्त पाये जाने पर पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रूपये 10,000/– प्रतिमाह पर की जावेगी। 03 माह पश्चात स्टाफ नर्स की कार्य मूल्यांकन एवं कार्य संतोषजनक होने के पश्चात् ही अभ्यार्थियों को नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त किया जावेगा।
2. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय,जबलपुर के अंतिम आदेश के अधीन होगी।

निरंतर––––3

4. वेतनमान एवं अन्य भत्तेः–

महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते और अन्य लाभ शासन नियमानुसार लागू होगें।

5. आरक्षणः–

1. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिये आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।
3. उक्त पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यार्थियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो।
4. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–6–1/2002/अ.प्र./एक भोपाल दिनांक 18 जनवरी 2018 द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) नियम 1988 के नियम–4(ख) में संशोधन की अधिसूचना म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में 16 जनवरी 2018 के अंतर्गत **"4–ख आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध"** में यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाडा के तामिया विकासखण्ड की भारिया जनजाति का है, संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये या वनरक्षक (कार्यपालिक) के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा"
5. दिव्यांगजन के आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ 8–4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट) भोपाल दिनांक 17 सितम्बर 2018 अनुसार रहेगा।

अस्थि बाधित	**अस्थि बाधित (45% to 50%) शरीर के निचले हिस्से की विकलांगता मान्य है।**

6. उक्त पदों में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. सी 5–2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार रहेगा।
7. उक्त पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण सामान्य विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र.एफ 07–11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार रहेगा। आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।

6. आवेदन शुल्कः–

अनारक्षित श्रेणी हेतु रू. 1000/– तथा आरक्षित श्रेणी (अ.जा., अ.ज.जा.एवं अ.पि.व., आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिक) हेतु रू. 800/– ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है।

7. आयु सीमाः–

1. अनारक्षित वर्ग हेतु –न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष
2. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/नियम–न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/निःशक्तजन (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)

नोटः– आयु की गणना 01 जनवरी 2021 के आधार पर की जावेगी।

निरंतर——4

8. सामान्य शर्तेः–

1. उम्मीदवार का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
2. गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) द्वारा आवश्यकता अनुसार उक्त पदों की संख्या संवर्ग में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. **सेवा एवं सेवा शर्तों तथा वेतन से संबंधित शर्तों में किसी भी समय शासन की नितियों व निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन किया जाने का अधिकार क्षेत्र इस कार्यालय का है।**
4. ऐसे अभ्यार्थी जो शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत है उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना **अनिवार्य** होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमिलेयर) **तथा** अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते है, उन्हे **शासन के** वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की एक प्रति **दस्तावेज** सत्यापन के दौरान जमा करना होगा।
6. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एवं नियुक्ति के समय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करना होगा।
7. अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संबंध में महाविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
8. चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
9. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में मान्य होगा।
10. ऐसे आवेदक जिनका दिनांक 26.01.2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
11. वैवाहिक स्थिति–एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेद न हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो।
12. सेवा की अन्य शर्ते नियुक्ति पत्र में दर्शाई अनुसार बंधनकारी होगी।
13. चयन सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जायेगा। अर्थात अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी जिन्होंने आवेदन किये पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम अर्हता में अधिक अंक प्राप्त किये है। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियों में एक से अधिक आवेदक के लिए समान तो कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।

9. सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्रः–

पैरामेडिक स्टाफ को न्यूनतम 03 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पदति करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तो का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) में चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू–राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूली योग्य होगी।

निरंतर——5

10. अनहर्तायें:–

निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और या चयन के लिए उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और या तो उसे स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा:–

1. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हो जिनमें फेरबदल किया गया हो या
2. चयन के किसी भी स्तर पर भर्ती हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन /दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो या
3. भर्ती के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो या
4. आवेदकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो:–

अ. महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे प्रकरणों में शासन ही अन्तिम निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन इस बात से सहमत हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

ब. जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाए गए।

स. महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध नहीं पाए गए।

द. जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि संतान से जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।

5. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

11. आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों के लिये निम्न लिखित प्रमाण–पत्र आवश्यक है:–

1. निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण–पत्र। (मूल दस्तावेजों के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।)
2. निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र तथा अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग में गैर क्रीमीलेयर प्रमाण–पत्र।

12. पैरामेडिकल के पद पर आवेदन संबंधी समय तालिका:–

क्रं.	गतिविधि	तारीख
1	ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	14.08.2021
2	ऑनलाईन आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि	31.08.2021

13. दिनांक 31.08.2021 को ऑनलाइन आवेदकों की सूची एवं उनके द्वारा भरी गई जानकारी प्रकाशित की जावेंगी। उक्त जानकारी में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर इस कार्यालय में दिनांक 06.09.2021 के भीतर आकर विसंगति का निराकरण करवा सकते है। दिनांक 06.09.2021 के बाद किसी भी तरह कोई आपत्ति दावा मान्य नहीं किया जावेंगा।

14. उपरोक्त तिथियां गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की जा सकती है।

निरंतर——6

15. आवेदन कैसे करेः–

1. आवेदक को ऑनलाइन फीस भरना अनिवार्य है तत्पश्चात् वह ऑनलाइन फार्म को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते है। ऑनलाइन शुल्क निम्न खाते में ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है।

   Accounts Details: A/c Holder: CEO & Dean Gandhi Medical College, Bhopal Bank Name, State Bank of India, GMC Branch Account Number: 10625211248, IFSC Code : SBIN0010140
2. आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने से पूर्व अपने समस्त दस्तावेज अपने पास रखे ताकि फार्म भरने के समय चाही गई जानकारी मूल दस्तावेज के अनुसार ही आवेदन फार्म में भरे। यदि आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी मूल दस्तावेज के अनुरूप/गलत भरी जाती है तो उक्त आवेदन मूल दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान अमान्य किया जावेंगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
3. आवेदक को स्वयं की ईमेल आईडी से आवेदन करने का अधिकार होगा। एक ईमेल आईडी से केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जावेंगा।
4. **यदि आवेदक को ऑनलाईन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नम्बर पर समय प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे संपर्क करें। दूरभाष नम्बर 9303123849 यह सुनिश्चित करे कि समस्या का निराकरण केवल 11.00 बजे से 1.00 बजे तक ही किया जावेंगा तो कृपया 1.00 बजे के बाद फोन न करें।**

महत्वपूर्ण टीपः–

यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) की वेबसाईट www.gmcbhopal.net का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे एव महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान देवें। इस संबंध में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) की कोई जवाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय–समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो इसकी दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी। साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सही भरा जाना चाहिए एवं किसी भी जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिए। यदि भविष्य में पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर हुआ, तो ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी एवं तदानुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल